rder or roceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signat Parti Pleader nece
11.01.2025	परिवादी द्वारा अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण न्यायशुल्क /दस्तावेज प्रस्तुति हेतु नियत है। प्रकरण का परिशीलन किया गया। प्रकरण के परिशीलन से यह दर्शित है कि हस्तगत परिवाद दिनांक **30.05.2022 को परिवादी रिकेपिटा फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड** की ओर से अधिवक्ता श्री **मुकेश दुबे** के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 30.05.2022 से दिनांक 11.01.2025 तक लगभग 2 वर्ष 6 माह/वर्ष की अवधि में लगभग **13** बार समय दिया जा चुका है उसके उपरांत भी परिवादी द्वारा न्यायशुल्क पेश नहीं की हैं। परिवादी को न्यायशुल्क / दस्तावेज प्रस्तुति हेतु अनेक अवसर प्रदान किया गया। परिवादी द्वारा न्यायालय शुल्क /दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत न होने के कारण प्रकरण में पंजीयन तर्क श्रवण कर आगे कार्यवाही अग्रेषित नहीं की जा सकी है। आज दिनांक को भी परिवादी द्वारा न्यायशुल्क अदा नहीं की गई है। , जिससे यह परिलक्षित होता है कि परिवादी स्वयं परिवाद में कार्यवाही अग्रेषित करने हेतु इच्छुक नहीं है। अतः परिवादी को न्यायशुल्क हेतु प्रदान किये गये पर्याप्त अवसर एवं उसकी न्यायशुल्क प्रस्तुत न होने के कारण प्रकरण में कार्यवाही संभव न होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद न्यायशुल्क के अभाव में द.प्र.सं. की धारा 203 के प्रावधान अंतर्गत **निरस्त** किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे। **श्रीमती गुंजन शर्मा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल म.प्र.	

GUNJAN SHARMA

Digitally signed by GUNJAN SHARMA
Date: 2025.01.11 14:34:13 +0530